**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली**
**पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.**

विविध प्रकरण संख्या : **16/2021**
GCMS No-2021/65

प्रार्थीः– बनाम अप्रार्थीगण :–

| | |
|---|---|
| दिलीपसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली हाल बांसवाडा | नरेन्द्रसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति रावणा राजपुत(मालिक) मैसर्स बी.एम.बी. स्वीटस मिलगेट जोधपुर रोड पाली |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011**

**उपस्थित :–**

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिववक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–**29-3-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित था। दिनांक 02.09.2020 को प्रार्थी दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स बी.एम.बी. स्वीटस मिलगेट जोधपुर रोड पाली पर गये तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एवं अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में दुकान गोदाम का निरीक्षण करने पर पाया की दो स्टील भगोने में लगभग 08–10 किलोग्राम खोया रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी आमजन को बिक्री कर रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 640/– नकद देकर 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 02 किलोग्राम खोया को नियमानुसार चार भागों में बांटकर चार सुखी शीशी में डालकर उन पर डी ओ कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये। चारों नमुना के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर 1085** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को अगले कार्यदिव्रस दिनांक 03.09.2020 को सहायक कर्मचारी किशोर पाण्डे के द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया खोया से बनी हुई के नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खोया विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही दोहरायी जायेगी एवं पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण निस्तारित करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी की स्वीकारोक्ति पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.09.2020 को अप्रार्थी की फर्म से जांच हेतु खोया क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1085 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना जाचं हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./403/एक्ट/2020/403 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1084 को (Sub-standard) अमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चुंकि प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया है तथा स्वीकारोक्ति के पश्चात किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खोया का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 29-3-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)